International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
July –August - 2021, Volume-8, Issue-4 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

हिंदी भाषा नीतियों का शिक्षा पर प्रभाव

डॉ अंजू अग्रवाल

सह आचार्य, हिंदी

बाबा गंगा दास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर)।

सार

किसी भी भाषा के लुप्त होने या उसके संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाने के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। भाषा का एक-एक शब्द महत्त्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द अपने पीछे संस्कृति की एक लंबी परंपरा को लेकर चलता है। इसलिए भाषा लुप्त होते ही संस्कृति पर खतरा मंडराने लगता है। संस्कृति और उस भाषा के संचित ज्ञान को बचाने के लिए भाषा के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। भारत की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नही मिल पायी है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। देश में इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्ति को संरक्षित या उन्हें रिकार्ड करने के लिए कोई ठोस नीति अभी तक नहीं थी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम और उसके आगे यथासंभव भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। इस कार्य के लिए अनेक अकादमी व संस्थान भी खोले जाने की घोषणा की गयी है। इन नीति में भारत की सभी भाषाओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गयी है । इस नीति में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के विकसित देशों में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है और इसका भरपूर लाभ उन्हें मिलता है, जबकि भारत में अभी भी यह बहुत मुश्किल कार्य है।

खोजशब्द: हिंदी भाषा, शिक्षा, छात्र,

परिचय

मातृभाषा में पढ़ाने की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की प्रशंसा करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिन्दी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह बात केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. नंदकिशोर पाण्डेय ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिन्दी का भविष्य' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में कही। 'हिन्दी पखवाड़े' के अवसर पर इस वेबिनार का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो. रजनीश शुक्ल और विशिष्ट अतिथि प्रो. रामदेव भारद्वाज ने भी वेबिनार को संबोधित किया।

संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान ही मनुष्य की आशंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर करता है। इस ज्ञान रूपी दिव्य अलौकिक मार्ग से मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में इन सभी बातों का पहले से ही उल्लेख मिलता है। लेकिन जब देश आजाद हुआ और बाहरी आक्रांताओं व अंग्रेजों का राज हुआ तो उन्होंने भारतीय शिक्षा की पद्धति को बदलकर रख दिया। परिणामस्वरूप भारतीय जनमानस अपने विचारों, सभ्यता एवं संस्कृति की जड़ों से कटता चला गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह सब कुछ वर्णित है जिससे बालक को न केवल भारत बोध होगा, वरन् वह सच्चा मनुष्य बनकर भारत माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगा। इस पूरी शिक्षा नीति में ज्ञान आधारित सृजनात्मकता व रचनात्मकता के साथ प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा का खाका है। इस नीति में न केवल शिक्षा के ढांचे को आमूल-चूल बदला गया है, बल्कि शिक्षा पद्धति में सुधार, नवाचार व अनुसंधान के साथ मनुष्य निर्माण

पर जोर दिया गया है। यह शिक्षा नीति भारत केंद्रित एवं विद्यार्थी केंद्रित है। यह पूरी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। इसमें त्रिभाषा सूत्र के साथ 'निज भाषा उन्नति अहै' की बात पर जोर दिया गया है। मातृभाषा, हिंदी एवं कोई एक अन्य भाषा व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होगी। संस्कृत भाषा के अध्ययन व अध्यापन की इसमें प्रधानता रहेगी। सही मायने में यह शिक्षा नीति छात्र, अध्यापक व भाषा के बीच का त्रिकोण है।

इस नीति से पूर्व भारत में दो शिक्षा नीति लागू हुई, जिनसे शिक्षा व्यवस्था का संचालन हो रहा है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। अब 34 वर्षों पश्चात बहुत बड़े विमर्श के बाद 29 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति के विमर्श में 2 वर्ष का समय एवं 2 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव समाहित हैं। विमर्श में शिक्षक, विद्यार्थी, राजनेता, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी सभी के सुझाव समाहित किये गए हैं। इसलिए यह शिक्षा नीति सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी एवं राष्ट्रीय विचारों से ओत-प्रोत है और कहा जाए कि लंबे समय की मेहनत के पश्चात निकला वह नवनीत है जो देश के समग्र विकास में अपनी महती भूमिका अदा करेगा। इस नीति में तकनीकी के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'वाइब्रेंट नॉलेज सोसायटी' का निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानवीय व राष्ट्रीय भाव का जागरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा का लाभ मिलने की भावना समाहित है। ऐसा माना गया है कि इस शिक्षा नीति से 60 करोड़ से अधिक लोग सीधे रूप से प्रभावित होंगे। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। जो केवल नाम परिवर्तन ही नहीं दृष्टि परिवर्तन का सूचक है।

विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन-

यह शिक्षा नीति विद्यालयी शिक्षा में सबसे बड़े परिवर्तन की पक्षधर है। जो पूर्व की नीतियों में 10+1 या 10+2 था। वह अब 5+3+3+4 किया गया है इसका अर्थ यह है कि बालक की प्रारंभिक अवस्था जिसे फाउंडेशन स्टेज या नींव कहा जा सकता है, उसे पूर्ण रूप से मजबूत करने की बात इस नीति में कही गई है। तीन वर्ष के बालक को विद्यालय में प्रवेश देकर प्री प्राइमरी के तीन वर्ष व प्रथम एवं द्वितीय सहित कुल 8 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इन प्रारंभिक 5 वर्षों में बालक के खेलकूद, संगीत, कला, योग, साहित्य, गणित कौशल के साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इन वर्षों में उसे यह सभी कुछ अपनी मातृभाषा में ही सिखाया-पढ़ाया जाएगा। बालकों के लिए मिड डे मील एवं बाल भवन की भी व्यवस्था रहेगी। कक्षा 3 से 5 तक यानी 11 वर्ष की आयु में बालक को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यह 'प्रिपरेटरी स्टेज' कहलाएगी। इन वर्षों में उसे विभिन्न विषयों का प्रारंभिक ज्ञान अपनी मातृभाषा में ही दिया जाएगा।अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक यानी मिडिल स्टेज में बालक को एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही उसे इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी यानी पढ़ाई के साथ-साथ वह अपनी पसंद के क्षेत्र से संबंधित उद्योग या संस्थान में अपने कौशल का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त भी कर सकेगा, जिससे वह धीरे-धीरे अपनी क्षमताओं को पहचान कर भविष्य के लिए एक निश्चित क्षेत्र का चयन भी कर सकता है। विभिन्न विषयों की पाठ्य सामग्री भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। बालकों को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के माध्यम से भारतीय भाषाओं पर आधारित परियोजना में भागीदारी निभानी होगी।

कक्षा नौवीं से बारहवीं तक सेकेंडरी स्टेज में बालक में विषय के प्रति गहरी समझ का विकास किया जाएगा, जिससे उसमें अध्ययन व विश्लेषण क्षमताओं का विकास हो सके। इन 4 वर्षों के पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाओं का आयोजन होगा। बालक को वर्ष भर सतत अध्ययन करते रहना होगा एवं सतत मूल्यांकन की भी व्यवस्था रहेगी। यहां बालक के पास अध्ययन हेतु पसंद के विषय चुनने एवं विदेशी भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता भी रहेगी, जिससे वह विज्ञान के साथ

समाजशास्त्र या संस्कृत या राजनीति शास्त्र जैसे अपने पसंद के विषयों का अध्ययन कर सकेगा जबकि पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा एवं विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड की परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 25:1 का रहेगा। इस नीति में जो बच्चे किसी कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं उनकी समस्याओं का निदान कर ड्रॉपआउट को 100% खत्म करने का प्रावधान है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह (सोशियो इकोनामिकली डिसएडवांटेज ग्रुप) जिनमें अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बालिकाएं,विस्थापित समूह, ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी शामिल हैं, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की योजना है। अतः यह नीति कम प्रतिनिधित्व वाले समूह को लक्षित कर समग्र एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। नया राष्ट्रीय आंकलन केंद्र 'परख' एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। बालकों में रटने की आदत को खत्म कर उनमें विषय की गहराई की समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में अंक प्रतिस्पर्धा की दौड़ खत्म हो जाएगी। मूल्यांकन 360 डिग्री के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बालक अनेक बिंदुओं पर अपने स्वयं के भी अंक दे सकेंगे। साथ ही शिक्षकों द्वारा, सहपाठियों द्वारा भी उनके व्यवहार, चरित्र व आचरण के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसमें परियोजना कार्य, अनुसंधान, समूह एक्टिविटी जैसे आवश्यक बिंदु शामिल होंगे। रिपोर्ट कार्ड में यह सभी अंकित किया जाएगा जिससे उसे मालूम हो सके कि वह कहां पर कमजोर है और भविष्य में उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस वसूली पर भी रोक लगेगी एवं विद्यालय, महाविद्यालय की फीस भी तय की जाएगी। इस सारी प्रक्रिया के निर्माण में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। शिक्षकों के चयन हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त मानदंडों का ध्यान रखा जाएगा। सोर्स शेयरिंग हेतु विद्यालयों में क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय आंकलन केंद्र एनसीईआरटी व एससीईआरटी के निर्देशन में छात्रों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। भारतीय संकेत भाषा अर्थात साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत कर किया जाएगा। मूक-बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों को 30 से 40% कम किया जाएगा ।

उच्च शिक्षा में बदलाव

उच्च शिक्षा देश के विकास का दर्पण होती है। इस नीति उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों में समग्रता व एकरूपता लाई जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता रहेगी। प्रवेश हेतु स्नातक में 'राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी' द्वारा 12वीं के अंकों सहित उच्च गुणवत्ता वाली 'सामान्य योग्यता परीक्षा' के अंको के योग से प्रवेश होगा। विषय चयन की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। संस्कृत भाषा को रूचिपूर्ण व नवाचारी तरीके से प्रारंभिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि के साथ जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार आर्हता के मानदंडों के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

इस नीति की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि किसी बालक ने स्नातक में किसी कारणवश 1 या 2वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वह छोड़ देता है तो उसकी यह पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी एवं जितने क्रेडिट इन वर्षों में उसने अर्जित किए हैं वे सभी अर्जित क्रेडिट सरकार द्वारा बनाए गए 'एकेडमिक क्रेडिट बैंक' में जमा हो जाएंगे और जब भी वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपना अध्ययन या डिग्री पूरी करना चाहेगा तो यह क्रेडिट उसकी डिग्री में एकेडमिक क्रेडिट बैंक से वापस जुड़ जाएंगे। एकेडमिक क्रेडिट बैंक डिजिटल लॉकर पर आधारित होगा। इसे मल्टी एंट्री एवं मल्टी एग्जिट व्यवस्था कहा गया है। विद्यार्थी द्वारा स्नातक का प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर 'सर्टिफिकेट' द्वितीय वर्ष पूर्ण करने पर 'डिप्लोमा' एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री शोध आधारित होगी। स्नातकोत्तर हेतु जिन्होंने 3 वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त की है, उन्हें 2 वर्ष का पाठ्यक्रम जिसमें 1 वर्ष शोध पर आधारित होगा एवं 4 वर्षीय शोध आधारित

डिग्री धारी विद्यार्थियों को 1 वर्ष में स्नातकोत्तर की डिग्री दी जाएगी। स्नातकोत्तर के बाद विद्यार्थी पीएच.डी में प्रवेश ले सकेंगे। इस शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है।

उद्देश्य

1. हिंदी भाषा के अपेक्षित परिणामों का विश्लेषण करना
2. शिक्षा में भाषा की भूमिकाओं की धारणा का अध्ययन करना

भाषा और शिक्षा पर राज्य नीति

स्वतन्त्रता से पूर्व भाषा-नीति- प्राचीन काल में हमारी भाषा-नीति स्पष्ट थी । बोलियाँ अनेक थीं, किन्तु शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत स्वीकृत थी। संस्कृत विद्वानों, शिक्षितों और जनता के उच्च वर्ग की भाषा, अर्थात् देववाणी थी। पाणिनि एवं पतंजलि जैसे भाषा – वैज्ञानिकों के हाथों में आकर यह इतनी परिमार्जित हो गयी थी कि उच्चतम एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने में यह सर्वथा समर्थ थी। कामकाज की भाषा होने के कारण यह अत्यन्त सम्माननीय मानी जाती थी। कुछ समय पश्चात् अर्थात् बौद्धकाल में अशोक जैसे महान् सम्राट के शासन काल में, भारत की राजभाषा का पद पालि व प्राकृत को मिला। पालि व प्राकृत की भी खूब उन्नति हुई। इसमें ग्रन्थ रचे गये, घोषणाएँ की गयीं, शिलाओं एवं स्तम्भों पर लेख लिखे गये एवं भारत के प्रमुख विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा आश्रमों में पालि व प्राकृत का पठन-पाठन होने लगा।

शिक्षा में भाषा की भूमिका

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार, अधिक लचीलेपन के साथ बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन-भाषा फॉर्मूला जारी रहेगा जिसमें किसी बच्चे या किसी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। भाषा का चुनाव कमोबेश राज्य और छात्रों की पसंद होगा, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों। एनईपी 2020 में कहा गया है कि तीन-भाषा फॉर्मूले में अधिक स्वायत्तता होगी जो 1968 और फिर 1986 में पेश की गई पिछली दो शिक्षा नीतियों में मौजूद नहीं थी। पिछली दो नीतियों से बड़ा अंतर यह है कि राज्य, क्षेत्र और छात्र उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा में जो तीन भाषाएँ सीखनी हैं उन्हें चुनने की पूरी आज़ादी होगी। नीति में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का माध्यम कक्षा पाँच तक और अधिमानतः कक्षा आठ तक मातृभाषा के माध्यम से होगा। गणित और विज्ञान जैसी "गैर-तुच्छ अवधारणा" को घरेलू भाषा/मातृभाषा में अधिक तेजी से समझा जा सकता है। विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि क्षेत्रीय/घरेलू भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा छात्रों के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा में एक बड़ा वरदान साबित होगी, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जहां स्कूल छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक है। देश "सीखने के संकट" में है क्योंकि 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने मूलभूत साक्षरता प्राप्त नहीं की है जो काउंटी का एक जरूरी मिशन बन गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्थानीय समुदाय की बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाएँ अलग-अलग जगहों पर भिन्न हो सकती हैं। भारत के एनईपी, 2020 के अनुसार बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति अनुभाग के तहत, शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक और ग्रेड 8 तक और उसके बाद भी घरेलू भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। 2018 में प्रकाशित एक प्रमुख समाचार पत्र के अनुसार, देश की 96.71 प्रतिशत आबादी की मातृभाषा 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और भारत में 19,500 से अधिक भाषाएँ या बोलियाँ मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। पूरी तरह से भाषाई जांच और संपादन के बाद, 1.369 मातृभाषाओं को तर्कसंगत बनाया जा सका और 1,474 नामों को "अवर्गीकृत" माना गया और उन्हें "अन्य" मातृभाषा श्रेणी में डाल दिया गया, जिसे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार 121 भाषाओं में शामिल करने के लिए

वर्गीकृत किया गया था। भारत, ने कहा है, "स्वघोषित भाषाई आत्महत्या" की प्रक्रिया कई आदिवासी समुदायों में पहले ही हो चुकी है। इसके साथ-साथ, "पहचान के डूबने और भाषाई विविधता में कमी" की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है।

नीति बच्चे की मातृभाषा और स्कूल में शिक्षा के माध्यम के बीच इस गंभीर अंतर और बच्चे की मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण और संबंधित मुद्दों जैसी अन्य चुनौतियों को स्वीकार करती है। इसमें यह भी बताया गया है कि पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की स्थिति में, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत की भाषा बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए और शिक्षकों को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जहां निर्देशों का माध्यम और बच्चे की भाषाएँ समान नहीं हैं। ये सभी प्रयास बहुभाषावाद के "महान संज्ञानात्मक लाभों" को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं ताकि छोटे बच्चों को जीवन के आरंभ में ही विभिन्न भाषाओं से परिचित कराया जा सके। यह स्पष्ट रूप से साक्षरता कार्यक्रम और सभी के लिए शिक्षा (समग्र शिक्षा अभियान) के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गंभीरता को दर्शाता है, न केवल 100% साक्षरता कार्यक्रम हासिल करने के लिए बल्कि भारत जैसे समृद्ध बहुभाषी देश में छोटी भाषाओं और बोलियों को बढ़ावा देने के लिए भी।

भारत में, अलग-अलग राज्य त्रि-भाषा फॉर्मूले का अलग-अलग उपयोग करते हैं और शिक्षा का माध्यम भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। 2002 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इक्कीस राज्य अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पेश करते हैं जबकि ग्यारह राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जाता है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में उपलब्ध है। ग्रामीण भारत में 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम राज्य भाषा है। बहुत कम राज्यों को छोड़कर, स्कूल द्विभाषी शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। बहुभाषी शिक्षा अपने प्रारंभिक चरण में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले दशक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या तीन गुना से भी अधिक बढ़ गई है। शैक्षणिक, सामाजिक और करियर के दृष्टिकोण से अंग्रेजी भारत में सबसे अधिक मांग वाली भाषा है। हालाँकि अंग्रेजी ओडिशा राज्य सहित भारत के सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 2007 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने "एक समावेशी समाज का निर्माण करने और भारत को एक ज्ञान समाज में बदलने" के इरादे से अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। 2006 में नेशनल फोकस ग्रुप का पोजीशन पेपर बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को "बहुभाषी/द्विभाषी के निर्माण में पूरक और अनुपूरक भूमिका" निभाने में अपना स्थान ढूंढना है।

भारत में हिंदी त्रिभाषा फॉर्मूला (टीएलएफ)

1968 में कोठारी आयोग और 1986 की पिछली दो शिक्षा नीतियों में भी प्रारंभिक शिक्षा में तीन भाषा फॉर्मूला (टीएलएफ) और मातृभाषा के उपयोग पर जोर दिया गया था। पिछली शिक्षा नीतियों के सूत्र में कहा गया था कि भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा के मानक को सुनिश्चित करने और बुद्धिजीवियों और जनता के बीच की खाई को दूर करने के लिए भारतीय भाषाओं और साहित्य का विकास आवश्यक है। भारतीय संविधान में 350ए और 350बी जैसे अनुच्छेदों ने भाषाई अधिकारों और एकीकरण को लागू करने और प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर दिए हैं लेकिन इन सभी प्रयासों ने भारत में कई अंतराल और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ पैदा की हैं। पहली भाषा (L1) वह भाषा है जिसे हम बचपन से सीखते हैं और जो आमतौर पर हमारे माता-पिता, परिवार के सदस्यों और हमारे आस-पास के अन्य लोगों द्वारा बोली जाती है। यह बिना किसी औपचारिक निर्देश के परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बातचीत के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया जाता है। भारत में सूचना के माध्यम और ज्ञान के स्रोत के रूप में दूसरी भाषा (L2) या तो हिंदी या अंग्रेजी है। तीसरी भाषा (L3) हिंदी भाषी क्षेत्रों को छोड़कर या तो हिंदी या संस्कृत है, जहां L3 आमतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों की एक भारतीय भाषा थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं दक्षिण की भाषाएँ नहीं सीख सका। तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे कुछ राज्यों ने शुरू से ही तीन भाषा फॉर्मूले का विरोध किया है और इसके बजाय दो भाषा फॉर्मूले को

अपनाया है। कुछ हिस्सों में, स्कूल में अनिवार्य भाषाओं में से एक के रूप में अंग्रेजी का विरोध किया जा रहा है। कुछ राज्यों में, अंग्रेजी का उपयोग उनकी भाषाओं के साथ स्थानीय भाषा के रूप में किया जाता है और यहां तक कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद से यह शिक्षा का माध्यम भी है। एक आदिवासी बच्चे के लिए, तीनों भाषाएँ विदेशी हैं क्योंकि बच्चे की घरेलू भाषा क्षेत्रीय भाषा से अलग है और बच्चे को तीनों अज्ञात भाषाएँ सीखनी होंगी। इस मामले में, या तो बच्चे के स्कूल प्रणाली से बाहर होने की बहुत संभावना है या वह तीनों सीखने का बोझ संभालने में सक्षम नहीं होगा। हिंदी पट्टी के राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार) त्रि-भाषा फॉर्मूले के तहत दक्षिण भारतीय भाषाओं की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सके।

अंग्रेजी प्रथम/द्वितीय/तीसरी भाषा के रूप में

2002 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इक्कीस राज्य अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पेश करते हैं जबकि ग्यारह राज्यों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जाता है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में उपलब्ध है। जिन राज्यों में या तो पहली भाषा के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की पेशकश की जाती है, वहां से स्कूल पास करने वाले छात्र उन कॉलेजों को पसंद करते हैं जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। ग्रामीण भारत में 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, जिसका अर्थ है कि राज्य भाषा शिक्षा की भाषा है, न कि मातृभाषा भाषा। ऐसा देखा गया है कि मातृभाषा का राज्य भाषा से कोई मेल नहीं है या बहुत कम है। बहुत कम राज्यों को छोड़कर, भारत में कोई भी स्कूल द्विभाषी शिक्षा प्रदान नहीं करता है। ओडिशा में, बहुभाषी शिक्षा अपने प्रारंभिक चरण में है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी की पेशकश करने वाले स्कूलों में पिछले दशक में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक, सामाजिक और करियर के दृष्टिकोण से अंग्रेजी भारत में सबसे अधिक मांग वाली भाषा है। हालाँकि ओडिशा राज्य सहित भारत के सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय बनी हुई है, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा गंभीर चिंता का विषय है। हालाँकि, एनईपी 2020 ने इसमें लचीलापन लाया है कि शिक्षार्थी अपनी भाषा चुन सकता है और अंग्रेजी सहित कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं है। 2007 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जो एक समावेशी समाज के निर्माण में मदद करेगा और भारत को एक ज्ञान समाज में बदल देगा। 2006 में नेशनल फोकस ग्रुप का पोजीशन पेपर बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा बहुभाषी या द्विभाषी बनाने में पूरक के साथ-साथ अनुपूरक भूमिका निभाएगी। डेविड ग्रैडोल (2010) का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भारत में शैक्षिक विफलता के कारणों में से एक है। उनका तर्क है कि स्कूल में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग को अपनाने से अंग्रेजी में सीखने या दक्षता का आश्वासन नहीं मिलता है। वह अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भारतीयों की दीवानगी को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि जल्दबाजी में अंग्रेजी माध्यम में बदलाव शैक्षिक विफलता का कारण बनता है। मातृभाषा में निरंतर शिक्षा और उसका विकास महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारतीय भाषाओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक विस्मरण और अपनी पहचान खोने का भी खतरा बढ़ रहा है। दो तरह की दुनिया के बीच (एक अंग्रेजी वाली काल्पनिक और दूसरी अपने घर और पास-पड़ोस वाली) संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही शैक्षिक विकास की दृष्टि से बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा यदि उनके घर की भाषा या मातृभाषा में दी जाती है तो विषय में प्रवेश सरल और रुचिकर तो होगा ही वह संस्कृति को भी जीवंत रखेगा। उनकी सामाजिक भागीदारी, लगाव और दायित्व बोध में भी बढ़ोत्तरी होगी। अपनी भाषा सीखते हुए और उस माध्यम से अन्य विषयों को सीखना सुखद होगा। मसलन सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और इससे जुड़े विषयों में भारत से परिचय, भारत की भाषा में निश्चित ही सरल होगा और सीखने के प्रति चाव पैदा करेगा। अध्ययन विषय के रूप में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को सीखने

की व्यवस्था भिन्न प्रश्न है। विद्यार्थी की परिपक्वता के अनुसार इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं का अधिकाधिक उपयोग हितकर होगा।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. अन्विता, ए. (2004, 20-23 मई)। लुप्त होती विविधताएँ और विलीन होती पहचान: एक भारतीय मामला। भाषा विविधता, स्थिरता और शांति सम्मेलन पर संवाद में (पीपी. 3-4)। बार्सिलोना, स्पेन।
2. बेकर, सी., और जोन्स, एस.पी. (1998)। द्विभाषावाद और द्विभाषी शिक्षा का विश्वकोश। बहुभाषी मामले.
3. गैस, एस.एम., और सेलिंकर, एल. (2001)। द्वितीय भाषा अधिग्रहण: एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम। एनजे, यूएस: पेर्गमॉन प्रेस इंक
4. ग्रैडोल, डी. (2010)। इंग्लिश नेक्स्ट इंडिया. भारत: ब्रिटिश काउंसिल
5. क्रशेन, एस.डी. (1982)। सिद्धांत और अभ्यास दूसरी भाषा के अर्जन हैं। ग्रेट ब्रिटेन: पेर्गमॉन प्रेस लिमिटेड
6. कृष्णास्वामी, एन., और कृष्णास्वामी, एल. (2011)। अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके. चेन्नई: मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड।
7. मगनाथन, आर. (2011)। शिक्षा में भाषा नीति और भारत में अंग्रेजी की भूमिका: पुस्तकालय भाषा से सशक्तिकरण की भाषा तक। एच. कोलमैन (सं.) में, सपने और वास्तविकताएँ: विकासशील देश और अंग्रेजी भाषा (पीपी. 3-4)। ब्रिटिश परिषद। यूके. आईएसबीएन 978-086355-659-3
8. मैटियोली, जी. (2004). मूल भाषा और शब्दों से घुसपैठ करने पर। अंग्रेजी शिक्षण मंच, 42, 20-25।
9. मोहंती, ए.के., पांडा, एम., फिलिप्सन, आर., और स्कुटनाब-कांगस, टी. (2009)। सामाजिक न्याय के लिए बहुभाषी शिक्षा: स्थानीय का वैश्वीकरण। नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
10. नेशन, पी. (2003). विदेशी भाषा सीखने में प्रथम भाषा की भूमिका। द एशियन ईएफएल जर्नल, 5(2)। 10 दिसम्बर 2007 को http://www.asian-efl-journal.com/june_2003_PN.html से पुनःप्राप्त
11. भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह। (2006)। भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर स्थिति पत्र। एनसीईआरटी. नई दिल्ली।
12. प्रधान, ए. (2018)। ओडिशा में जनजातीय समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा। द ट्राइबल ट्रिब्यून, 6(1). https://www.etribaltribune.com/index.php/volume-6/mv6i1/education-forchildren-of-tribal-communities-in-odesha से लिया गया
13. स्टॉर्च, एन. (2003). क्या L2 सेटिंग में L1 के उपयोग की कोई भूमिका है? टीईएसओएल त्रैमासिक, 37(4), 760-70

14. स्वान, एम. (1985)। संचारी दृष्टिकोण पर एक आलोचनात्मक दृष्टि। अंग्रेजी भाषा शिक्षण जर्नल, 39(1), 2-12; 39(2), 76-87.

15. यूनेस्को (1953) शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग. पेरिस: यूनेस्को फेलिसियानो चिम्बुटेन भाषा और शिक्षा, 27(4), 2013।